सत्यमेव जयते

राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स कल्याण योजना समिति

केन्द्रीय कार्यालय : सहयोग सदन, 6—गोखले मार्ग, लखनऊ

संविधान

प्रकाशक

सचिव

अध्यक्ष

Scanned with CamScanner

नियमावली

1. संस्था का नाम : राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स कल्याण योजना समिति, उ0प्र0।
2. संस्था का पता : सहयोग सदन, 6 गोखले मार्ग, लखनऊ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश राज्य।
4. संस्था का उद्देश्य :
   क) सेवानिवृत्त होने से पूर्व योजना सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके परिवार एवं आश्रितों की सहायता करना।
   ख) सेवा काल में स्थायी रूप से अपांग होने के कारण सेवा निवृत्त योजना सदस्य एवं उनके आश्रितों की सहायता करना है।
   ग.) सेवारत या सेवा निवृत्त योजना सदस्यों के कल्याणार्थ उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोष एकत्रित करना।
   घ.) उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु सदस्यता शुल्क निर्धारित करना, योजना बनाना एवं अनुदान आदि संग्रहीत करना।

5. संस्था की सदस्यता : उत्तर प्रदेश राज्य के विभिनन ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत जूनियर इंजीनियर एवं जूनियर इंजीनियर से पदोन्नत अभियन्ता इस योजना के सदस्य निम्न नियमों के अन्तर्गत बन सकेंगें :–

(अ) कल्याण परिवार योजना पॉच चरणों की होगी एवं प्रत्येक चरण का अंषदान रू 2050/– होगा। पॉचो चरणों का कुल अंषदान रू 10250/– होगा। सदस्यता शुल्क रू0 10000 की राशि विभाग छोड़ने अथवा सेवानिवृत्त होने पर वापिस कर दी जायेगी।

(ब) परिवार कल्याण योजना की सदस्यता ग्रहण करने के लिए राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ0प्र0 का अधिकृत सदस्य होना अनिवार्य होगा।

(स) इच्छुक व्यक्ति को जूनियर इंजीनियर पद पर नियमित नियुक्ति तिथि के सामान्यतया तीन वर्ष के अन्दर योजना का सदस्य बनना हेागा। यह योजना सदस्य बनने के 1 वर्ष बाद ही सम्बन्धित सदस्य के लिए प्रभावी होगी, परन्तु सदस्य के आकस्मिक दुर्घटना वश निधन/पूर्ण अपंगता की स्थिति में यह योजना सदस्य बनने के तुरन्त बाद प्रभावी हो जायेगी।

(द) प्रत्येक चरण के लिए सदस्यता शुल्क एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा।

(य) सदस्यता, उस तिथि से प्रभावी मानी जायेगी जिस तिथि को सदस्यता शुल्क की पूर्ण राशि, सचिव को हस्तांतरित (नकद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में) हो जायेगी।

(र) प्रति चरण प्रतिपूर्ति की धनराषि रू 40000/– एवं पॉचों चरणों के विरूद्ध प्रतिपूर्ति की कुल धनराषि रू 2,00,000/– होगी।

(ल) प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति योजना की स्थिति पर विचार कर भविष्य के लिए सहायता राशि बढ़ाने अथवा घटाने का निर्णय कर सकेगी।

रा०वि०प०जू०इंजी० कल्याण योजना समिति (उ०प्र०)

उपाध्यक्ष सचिव

Scanned with CamScanner

(व) प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति प्रस्ताव द्वारा राज्य विद्युत परिषद प्रशासन से सदस्यता शुल्क वेतन बिल से प्राप्त करने की व्यवस्था हेतु निवेदन कर सकती है।

6. सदस्य द्वारा विभाग छोड़ने की दषा में अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत, "परिवार कल्याण योजना" की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

7. संस्था के अंग :–

(अ) साधारण सभा (ब) पदाधिकारी

(स) प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति (द) विशिष्ट कार्यकर्ता

8. साधारण सभा :

(अ) गठन : योजना के सभी अधिकृत सदस्य मिलकर "साधारण सभा" गठित करेंगे।

(ब) बैठक : साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार 15 दिन की पूर्व सूचना पर बुलायी जा सके।

(स) गणपूर्ति : सदस्य संख्या का 10 प्रतिशत या 100 सदस्य जो कम हो।

(द) कर्तव्य : साधारण सभा पदाधिकारियों/प्रबन्ध कार्यकारिणी के कार्यो का अवलोकन करेगी और आवश्यकतानुसार अन्तिम निर्णय करेगी।

9. पदाधिकारी : केवल अधिकृत योजना सदस्य ही पदाधिकारी हो सकेगे। पद निम्न होगे :–

(क) अध्यक्ष – एक पद (ख) उपाध्यक्ष – एक पद

(स) सचिव – एक पद (घ) लेखा निरीक्षक – एक पद

पदाधिकारियों का चयन प्रबन्ध कार्यकारिणी के सदस्यों में से ही प्रबन्ध कार्यकारिणी करेगी।

10. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

(क) अध्यक्ष

1. समिति तथा प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
2. अन्य पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश देंगे।

(ख) उपाध्यक्ष

1. सचिव के साथ संयुक्त रूप से बैंक के खाते का संचालन करेंगे।
2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों का सभापतित्व करेंगे।

(ग) सचिव

1. समिति सम्बन्धी पत्र व्यवहार करेंगे और समिति के अभिलेखों का रख–रखाव करेंगे।
2. आय–व्यय का लेखा जोखा रखेंगे।
3. बैठकों की कार्यवाही लिखेंगे।
4. उपाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से बैंक के खाते का संचालन करेंगे।

(घ) लेखा निरीक्षक

समिति के लेखे की समय–समय पर जांच कर अध्यक्ष को रिपोर्ट देंगे।

11. प्रबन्ध कार्यकारिणी

(क) गठन : कार्यकारिणी का गठन निम्न प्रकार होगा :–

1. राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ0प्र0 के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महासचिव, पदेन प्रबन्ध कार्यकरिणी के सदस्य होंगे परन्तु उपरोक्त अध्यक्ष, महासचिव समिति के पदाधिकारी नहीं हो सकेगे।
2. उपरोक्त चार सदस्य प्रबन्ध कार्यकारिणी के लिए सात अन्य सदस्यों का मनोनयन करेंगे।
3. योजना के निवर्तमान पदाधिकारी कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य होंगे।

रा०वि०प०जू०इंजी० कल्याण योजना समिति (उ०प्र०)

उपाध्यक्ष सचिव

Scanned with CamScanner

4. उपरोक्त से गठित प्रबन्ध कार्यकारिणी पदाधिकारियों का चुनाव करेंगी।

(ख) बैठक : प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष के निर्देश अथवा अनुमति से सचिव द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार सात दिन की पूर्व सूचना पर बुलायी जायेगी।

(ग) गणपूर्ति : कार्यकारिणी की कुल संख्या 50 प्रतिशत होगी।

(घ) रिक्त स्थानों की पूर्ति : रिक्त स्थानों की पूर्ति अध्यक्ष द्वारा सचिव से सलाह लेकर की जायेगी।

(ड़) कर्तव्य : प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के लिए शुल्क, चन्दा, दान तथा अनुदन संग्रहीत करने, कोष के रख–रखाव तथा सहायता वितरण के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होगी और एतदर्थ पदाधिकारियों से सहयोग करेंगी।

(च) कार्यकाल : पदाधिकारियों का कार्यकाल दो वर्ष होगा परन्तु उत्तराधिकारी के चुनाव तक कार्यरत रहेंगे।

12. विशिष्ट कार्यकर्ता :
प्रत्येक परियोजना तथा क्षेत्र से किसी एक कर्मठ सदस्य को सचिव समिति विशिष्ट कार्यकर्ता मनोनीत करेगा जो उस क्षेत्र से योजना के प्रसार एवं व्यवस्था में सचिव को सहयोग देगा।

13. नियमावली में संशोधन :–
नियमावली में संशोधन प्रबन्ध कार्यकारिणी की दो तिहाई सदस्यों की सहमति से ही हो सकेगा।

14. संस्था का कोष :–

(क) योजना के लिए प्राप्त एवं संकलित धनराशि का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की लखनऊ शाखा में होगा।

(ख) खाते का संचालन संयुक्त रूप से समिति के उपाध्यक्ष एवं सचिव करेगे।

(ग) कोष में अधिकतम रू0 100000 रू0 बचत खाते में और शेष फिक्स डिपाजिट में रखा जायेगा।

15. सहायता विधि :–

(क) सदस्य की मृत्यु अथवा स्थायी रूप से अक्षम होने की सूचना मिलने पर सचिव तत्काल (10 दिन के अन्दर ही) सदस्य अथवा उसके परिवार की जैसी स्थिति हो, संवेदना संदेश एवं नांमाकित उत्तराधिकारी के नाम जमा प्रति चरण का 50% रोधित (क्रास्ड) ड्राफ्ट भेजेंगे।

(ख) सहायता की उपरोक्त पहली किस्त की रसीद प्राप्त हो जाने पर उपरोक्त विधि से ही अवशेष धनराशि की दूसरी किस्त 3 माह के अन्दर भेज दी जायेगी।

(ग) राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ0प्र0 का आधान्त सदस्यता शुल्क जमा होने पर ही उपरोक्त सहायता राशि प्रदान की जायेगी।

(घ) कार्यालय के रख–रखाव एवं समिति कार्यो का अन्य व्यय बचत खाते के व्याज से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर एतदर्थ विशेष अनुदान संगृहीत किया जायेगा।

16. विवाद :–

(क) योजना पर अथवा योजना द्वारा दायर किये गये मुकदमों की पैरवी समिति की ओर से सचिव करेंगे।

रा०वि०प०जू०इंजी० कल्याण योजना समिति (उ०प्र०)

उपाध्यक्ष सचिव

Scanned with CamScanner

(ख) सदस्यता, चुनाव अथवा योजनाके आपसी विवादों का निपटारा एक उपसमिति द्वारा होगा जिसके सभापित अध्यक्ष होगे और जूनियर इंजीनियर्स संगठन के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत तीन व्यक्ति उसके सदस्य होगे।

(ग) किसी भी विवाद के लिये न्यायालय लखनऊ होगा।

17. संस्था के अभिलेख :
सदस्यता रजिस्टर, प्रवेश पत्र, उत्तराधिकारी पत्र, रसीद बुकें, क्रमांकित कैश बुक आदि संस्था के अभिलेख होंगे।

18. प्रतिबद्धता :–
राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उ0प्र0 से प्रतिबद्ध रहेगी।

19. विघटन :–

(क) यदि किसी समय योजना के सदस्य की संख्या लगातार दो वर्ष 800 से कम रह जाये तो योजना को समाप्त कर दिया जायेगा।

(ख) इस योजना को समाप्त घोषित करने की स्थिति में कोष में बची धनराशि सदस्यों या नामांकित उत्तराधिकारी (यदि सदस्य जीवित न हो) में बांट दी जायेगी।

नोट :– सहायता का प्रारम्भ योजना की सदस्य संख्या कम से कम 800 हो जाने पर ही किया जायेगा।

रा०वि०प०जू०इंजी० कल्याण योजना समिति (उ०प्र०)

उपाध्यक्ष सचिव

Scanned with CamScanner